फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कोलायत

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र– अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट   मु. नं. 08 सन 2018

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.01.2019	यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत तहसीलदार राजस्व कोलायत से प्राप्त हुआ। प्रार्थना पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे। प्रकरण मे संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि सेग्रीगेशन को दृष्टिगत रखते हुए पटवारी हल्का चानी ने खाता दुरूस्ती बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। संलग्न जमाबन्दी सम्वत् 2058, 2073–2076 की प्रति। पत्रावली का अवलोकन किया गया। भू–अभिलेख निरीक्षक कोलायत की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कोलायत की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण मे ग्राम चानी तहसील कोलायत व जिला बीकानेर की जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 मे खाता संख्या 26 मे वर्तमान मे दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:–	

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज की जानी है)
1	चानी	26	छिदरपाल नाबालिग वली सरपरस्त माता खुद भागो बाई कौम कम्बौज सा. सागर सरिता तह. व जिला सिराना खातेदार बाकी मांदा बदस्तूर जमाबन्दी	छिदरपाल नाबालिग वली सरपरस्त माता खुद भागो बाई हि. 0.31 है. कौम कम्बौज सा. सागर सरिता तह. व जिला सिराना खातेदार बाकी मांदा बदस्तूर जमाबन्दी

निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व कोलायत को भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे इजलास मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, कोलायत

Scanned by CamScanner